



2026:AHC-LKO:14846-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट - ए सं. - 2131/2026

बृज मोहन सिंह

....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, लखनऊ के माध्यम से
और 2 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : प्रदीप कुमार

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. सुना गया।

2. इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण द्वारा दावा याचिका सं. 1237/2019 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 30.01.2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के, साथसाथ दिनांक 21.05.2019 के उस आदेश को भी चुनौती दी है जिसे उसमें चुनौती दी गई थी।

3. सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी कि उनके मुवक्किल को 1983 में इलेक्ट्रीशियन के तौर पर नियुक्त किया गया था और उन्हें कभी भी जूनियर इंजीनियर का पदनाम नहीं दिया गया था, इसलिए, हम इस दलील पर ध्यान देते हैं, क्योंकि निर्णय में यह उल्लेख है कि उन्हें जूनियर इंजीनियर के रूप में पुनः नामित किया गया था। फिर भी, याचिकाकर्ता का दावा यह है कि 1983 में नियुक्ति के बाद, उन्हें समता समिति रिपोर्ट, 1987 की सिफारिशों के अनुसार, दिनांक 01.01.1986 से 1200-2040 रुपये का वेतनमान दिया जाना चाहिए था। याचिकाकर्ता ने सेवा में रहते हुए कभी भी ऐसा कोई दावा नहीं उठाया। वे 2014 में सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद उन्होंने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 21.05.2019 को निर्णय किया गया। यद्यपि हम यह नहीं कह सकते कि दावा याचिका समय-सीमा से बाधित थी, लेकिन हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि कोई भी वादी जो अपने पूरे सेवा काल के दौरान निष्क्रिय रहता है, और फिर तीस वर्ष से भी अधिक समय बाद, यदि कोई कारण हो, दिनांक 01.01.1986 से प्रभावी किसी दावे की मांग करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत करता है, तो न्यायाधिकरण द्वारा पहले से दिए गए कारणों के आधार पर, वह किसी भी विचार का पात्र नहीं है। हमने दिनांक 21.05.2019 के आदेश का भी अवलोकन किया है और उपर्युक्त कारणों से, हमें इस स्तर पर इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई भी कारण नज़र नहीं आता।



4. तदनुसार, रिट याचिका **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन राँय)

24 फरवरी 2026

शानू/-

Translated Version. Not for Legal Use.